संख्या– 128 / VI-2/2014–71(17)2012टी0सी0

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 — देहरादून दिनांक : 4 मार्च, 2014

विषय :– जनपद चम्पावत में अवस्थित सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के कार्यो हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3591 / सं0नि0उ0 / दो–3 / 2013–14, दिनांक 04 मार्च, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत में अवस्थित छः सांस्कृतिक स्थलों पूर्णागिरी मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, गोरूल चौड़, ब्यानधुरा, देवीधुरा मंदिर तथा वाणासुर का किला के संरक्षण के कार्यो हेतु रू0 2.00 करोड़ का कॉर्पस फण्ड बनाये जाने तथा विभिन्न मानक मदों में रू0 91.66 लाख(इक्यानवे लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–09 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित समय सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन ऐसे किसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुवल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण / व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथा आवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कति–106–संग्रहालय–03–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण–00–24 वृहद् निर्माण कार्य के विभिन्न मानक मदों में आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–09 के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-321(पी)/XXVII–3/2013–14 दिनांक–05 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–128 (1)/VI-2/2014–71(17)2012, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उचत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी, चम्पावत।
4– बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– एन0आई0सी0 देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0उमाकान्त पंवार)
सचिव